(1)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 19 / 2020 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री सुभाष पोरवाल निवासी पंचायत समिति के पीछे, तहसील बनेड़ा
—-अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
—-प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 04-08.2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा के विरूद्ध प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 47 एफ 046400 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 23.01.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 05.03.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा द्वारा पत्रांक / सू.अ.अ. / 2020 / 360 दिनांक 22.07.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना अपीलार्थी को दिनांक 22.07.2020 को उपलब्ध करा दी गयी।

अपील में अंकित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दी जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 04-08-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा